भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *16
20.07.2026 को उत्तर के लिए

तेलंगाना में मानव-पशु संघर्ष

***16. श्री सुरेश कुमार शेटकर :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए तेलंगाना को कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने तेलंगाना में मानव-पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो व्यापक राष्ट्रीय निगरानी तंत्र नहीं होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या तेलंगाना में उक्त संघर्ष को कम करने में सहायता करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो अपर्याप्त उपायों के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार तेलंगाना में वन्य जीवों के हमलों के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो पूरा भार राज्य सरकार पर डाले जाने के क्या कारण हैं और

(ङ) क्या सरकार के पास तेलंगाना में लोगों की मृत्यु, उन्हें लगने वाली चोटों, पशुधन की हानि और फसल की क्षति के लिए संवितरित किए गए कुल मुआवजे के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो समेकित आंकड़ों की कमी के क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'तेलंगाना में मानव-पशु संघर्ष' के संबंध में दिनांक 20.07.2026 को उत्तर के लिए श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.*16 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) मानव-पशु संघर्ष के उपशमन सहित वन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन किसी भी संघर्ष की स्थिति में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता हैं और वे संघर्ष के साथ-साथ उसमें शामिल प्रजातियों के ब्यौरे का रख-रखाव भी करते हैं। केंद्रीय प्रायोजित योजना 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' के तहत अन्य बातों के साथ-साथ मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के दौरान तेलंगाना राज्य को क्रमशः 323.32 लाख रुपये, 291.68 लाख रुपये, 302.34 लाख रुपये और 208.67 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

(ख) से (ङ) उक्त योजना के तहत, जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मवेशियों को उठा ले जाना, फसलों को नुकसान पहुँचाना, जान-माल को नुकसान शामिल है, को रोकने के लिए समर्थित कार्यकलापों, जिनमें समयपूर्व चेतावनी प्रणाली की खरीद, सौर उर्जा-चालित इलैक्ट्रिक बाड़, जैव-बाड़, खाईयों, बाउंड्री बॉल आदि जैसी वास्तविक रूकावटों का निर्माण और उसकी स्थापना भी शामिल है। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए सामुदायिक संरक्षकों के साथ त्वरित प्रतिक्रिया दल भी तैनात किए गए हैं।

भारत सरकार ने तेलंगाना सहित देश भर में, विशेष रूप से बाघों और हाथियों जैसी प्रमुख प्रजातियों के संदर्भ में मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति का आकलन किया है, जिसमें तेलंगाना राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले दशक के दौरान हाथियों के कारण कोई मानव मृत्यु नहीं हुई और बाघ के हमलों के कारण केवल 3 मानव मृत्यु हुई थी। इसके अलावा, क्षतिपूर्ति और प्रभावित जिलों के संबंध में विस्तृत आंकड़े को राज्य के स्तर पर संकलित किया जाता है।

सरकार द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 के तहत राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को संघर्ष की परिस्थिति में वन्यजीवों के प्रबंधन हेतु पर्याप्त अधिकार प्रदान किए गए हैं।

ii. मंत्रालय ने इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुपालन के अलावा अंतरविभागीय समन्वित कार्यों के माध्यम से मानव-वन्यजीव नकारात्मक संघर्षों के प्रबंधन के लिए परामर्शिकाएं और दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन उपायों को मजबूत करने के लिए तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाता है।

iii. मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक और संस्थागत कार्यढांचे को मजबूत करने के लिए सालिम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान केंद्र (एसएसीओएन),

डब्ल्यूआईआई-दक्षिण भारत केंद्र, कोयंबटूर में मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में जंगली जानवरों के हमलों के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी अक्षमता के मामले में इस संबंध में निर्देशों के अनुसार इन योजनाओं के तहत राहत-अनुदान की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है, जिसके लिए राज्य सरकार की संगत योजनाओं के माध्यम से भी सहायता प्रदान की जाती है। राहत-अनुदान राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	**जंगली जानवरों के कारण हुई क्षति का प्रकार**	**राहत-अनुदान की राशि**
I.	मृत्यु या स्थायी अक्षमता	10.00 लाख रु.
II.	गंभीर चोटें	2.00 लाख रु.
III.	मामूली चोट	प्रति व्यक्ति 25000/- रु. तक उपचार का व्यय
IV.	संपत्ति या फसल का नुकसान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार अपने द्वारा तय किए गए लागत नियमों का पालन कर सकती है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मानकों के अनुसार मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं के कारण चोटों सहित पशुधन, फसलों और मानव जीवन के होने वाले नुकसान के अनुसार सहायता अनुदान राशि का भुगतान करते हैं, जो अलग-अलग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग होते हैं।
